17/02/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। इस्तगासा उपरा वार करीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया। डिक्री जारी हो। नकल ले कर हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/243

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:26:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

वाद संख्याः– 118/2024 GCMS:- 2024/243 दायरा दिनांकः– 02.05.2024

–: अनवान :–

1. कुलदीप कुमार पुत्र रजीराम जाति जाट निवासी सिद्दूवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. द्रोपति पत्नी रजीराम जाति जाट निवासी सिद्दूवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम

1. शान्तिदेवी पत्नी काना जाति जाट निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. जमना पुत्री काना जाति जाट निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. रजो पुत्री काना जाति जाट निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. रमन पुत्री काना जाति जाट निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री विनोद कुमार, अधिवक्ता, वादी
2. श्री अमित कुमार सैनी, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4
3. पैरोकार राज सूरतगढ़।

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 17.02.2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। बहस सुनी गई। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से संयुक्त खाते मे कृषि भूमि [illegible] 2 एस आर पी एम पटवार हल्का सरदारपुरा खर्था जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 2075 जमाबन्दी 2077(वर्ष 2021)से स्थायी के खाता संख्या 100/105 में पत्थर नम्बर 168/5 मु.न. 97 के किला नम्बर 23 ता 25 में 0.7590 हैक्टेयर अनकमाण्ड, पत्थर नम्बर 168/6 मु.न. 106 किला नम्बर 3 ता 9, 12 ता 25 में 5.3130 हैक्टेयर अनकमाण्ड, पत्थर नम्बर 168/13 मु.न. 98 किला नम्बर 21, 22 में 0.5060 हैक्टेयर अनकमाण्ड, पत्थर नम्बर 168/14 मु.न. 105

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 14, 16 ता 25 में 5.5660 हैक्टेयर अनकमाण्ड कुल खाता 12.1440 हैक्टेयर अनकमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। जिसमें वादी संख्या 1 कुलदीपकुमार का हिस्सा 1/12, वादीया संख्या 2 द्रोपति का हिस्सा 1/12 तथा प्रतिवादी संख्या 1 शान्तिदेवी का हिस्सा 7/30, प्रतिवादी सख्या 2 जमना का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 3 रजो का हिस्सा 1/5, प्रतिवादी संख्या 4 रमन का हिस्सा 1/5 दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वादीगण ने अपना खाता संयुक्त रखते हुए ही शेष सहखातेदारान प्रतिवादीगण से खाता विभाजन का अनुतोष इस वाद पत्र में चाहा गया हैं। खाता संयुक्त होने से रकबा को सुधारने, ट्यूबवैल लगाने, बैंक से ऋण आदि लेने रकम–आबयाना जमा करवाने मे हर समय कठिनाईयां पैदा होती रहती है, खाता विभाजन करवा लेने से रास्ता– पानी लगाने– रकम–आबयाना जमा करवाने मे कठिनाईया न आये इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 से खाता विभाजन करवाना चाहते है ताकि कठिनाईया समाप्त हो सके। वादीगण ने जैरवाद भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 से जरिये बैयनामा दिनांक 04.06.2021 को खरीद की थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हिस्सा के कब्जा काश्त में से ही वादीगण को कुल 2.024 हैक्टेयर भूमि का कब्जा दिया था। प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 ने भी इस कब्जा काश्त के बाबत अपनी सहमती 100 रूपये के स्टाम्प पेपर सहमती पत्र(शपथ पत्र) के द्वारा दिनांक 04.06.2021 को दी थी जिसके अनुसार वादीगण का कब्जा जैरवाद भूमि में निम्न प्रकार से हैं :–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वादी संख्या 1 कुलदीप कुमार पुत्र रजीराम हिस्सा 1/12 तथा वादीया संख्या 2 द्रोपति पत्नी रजीराम हिस्सा 1/12 का संयुक्त कब्जा काश्त :–

चक 2 एस आर पी एम तहसील सूरतगढ़ :–

पत्थर नम्बर 168/6 मु.न. 106 किला नम्बर 17 ता 24 = 2.024 हैक्टेयर

वादीगण वाद पत्र के पैरा संख्या 5 में वर्णित कब्जा के अनुसार भूमि खरीद के समय से काश्त करते आ रहे है व भूमि को अपने अपने खर्चे से सुधार कर भारी खर्चा लगाकर काबिल काश्त किया हैं। प्रतिवादीगण द्वारा भी इस बाबत सहमती दी गई हैं कि जैरवाद भूमि में वादीगण के हिस्सा की 2.024 हैक्टेयर भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त वाद पत्र की मद संख्या 5 में दर्ज अनुसार खाता विभाजन करवाने पर सहमत हैं तथा खाता विभाजन की सहमती के बयान भी अदालत में करने के लिए पाबन्द रहेगी। इसलिए वादीगण अपने कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कई बार कहा कि वह तहसील में चलकर सहमति से खाता विभाजन करवा लें इस पर पहले तो वे हांमी भरते रहे लेकिन दिनांक 08.04.2024 को स्पष्ट इन्कार हो गये तथा कहा कि हमे तो खाता विभाजन की आवश्यकता नहीं है तुम्हें आवश्यकता है तो अदालत से करवा लो हम तो अदालत से नोटिस मिलने पर ही आयेगें। वादीगण की यही इन्कारी ही वाद प्रस्तुत करने का कारण है। अतः श्रीमान वादीगण का निवेदन है कि वाद पत्र अनुतोष क ता ख अनुसार डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:26:40 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये तथा अपना जवाब इकबालदावा प्रस्तुत कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रतिवादी संख्या 3 हाजिर अदालत नहीं आने के उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस सुनी गई। वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस की तथा निवेदन किया कि वादीगण का खाता प्रतिवादीगण से अलग किया जावे। प्रतिवादीगण ने अपना जवाब इकबालदावा प्रस्तुत कर दिया है।

बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन किया। प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार जैरवाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के संयुक्त खाते में दर्ज हैं। वादीगण द्वारा सहमती पत्र अनुसार वादीगण के कब्जा काश्त के रकबा का खाता विभाजन से उन्हे किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है तथा अपना जवाब इकबालदावा भी प्रस्तुत कर दिया हैं इसलिए वाद पत्र वादीगण का डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वाद पत्र वादीगण डिक्री किया जाता है तथा चक 2 एस आर पी एम पटवार हल्का सरदारपुरा खर्था भू.अभि.नि. क्षेत्र ठेठार तहसील सूरतगढ़ के अंतिम चौसला आधार संवत 2072–2075 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 100 नया, 105 पुराना में पत्थर नम्बर 168/5 मु.न. 97 के किला नम्बर 23 ता 25 में 0.7590 हैक्टेयर अनकमाण्ड, पत्थर नम्बर 168/6 मु.न. 106 के किला नम्बर 3 ता 9, 12 ता 25 में 5.3130 हैक्टेयर अनकमाण्ड, पत्थर नम्बर 168/13 मु.न. 98 के किला नम्बर 21, 22 में 0.5060 हैक्टेयर अनकमाण्ड, पत्थर नम्बर 168/14 मु.न. 105 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 14, 16 ता 25 में 5.5660 हैक्टेयर अनकमाण्ड कुल खाता 12.1440 हैक्टेयर अनकमाण्ड खातेदारी में से **पत्थर नम्बर 168/6 मु.न. 106 किला नम्बर 17 ता 24 = 2.024 हैक्टेयर अनकमाण्ड खातेदारी भूमि** में वादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/2 हिस्सा दर्ज करते हुए प्रतिवादीगण से खाता विभाजन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। शेष भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम से उनके हिस्सा अनुसार संयुक्त खाता में रखी जावे। भूमि अगर रहन है तो जिस पक्षकार का ऋण लिया हुआ है उसके खाते मे रहन का नोट लगाया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमलदरामद करें। परचा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:26:40 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

1. कुलदीप कुमार पुत्र रजीराम जाति जाट निवासी सिद्दूवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. द्रोपति पत्नी रजीराम जाति जाट निवासी सिद्दूवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

.....वादीगण

बनाम

1. शान्तिदेवी पत्नी काना जाति जाट निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.
2. जमना पुत्री काना जाति जाट निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. रजो पुत्री काना जाति जाट निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. रमन पुत्री काना जाति जाट निवासी ठेठार तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 118 वर्ष 2024 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री विनोद कुमार व वकील प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 4 श्री अमित कुमार सैनी व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादीगण डिक्री किया जाता है तथा चक 2 एस आर पी एम पटवार हल्का सरदारपुरा खर्था भू.अभि.नि. क्षेत्र ठेठार तहसील सूरतगढ़ के अंतिम चौसला आधार संवत 2072–2075 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2021) से स्थायी के खाता संख्या 100 नया, 105 पुराना में पत्थर नम्बर 168/5 मु.न. 97 के किला नम्बर 23 ता 25 में 0.7590 हैक्टेयर अनकमाण्ड, पत्थर नम्बर 168/6 मु.न. 106 के किला नम्बर 3 ता 9, 12 ता 25 में 5.3130 हैक्टेयर अनकमाण्ड, पत्थर नम्बर 168/13 मु.न. 98 के किला नम्बर 21, 22 में 0.5060 हैक्टेयर अनकमाण्ड, पत्थर नम्बर 168/14 मु.न. 105 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 14, 16 ता 25 में 5.5660 हैक्टेयर अनकमाण्ड कुल खाता 12.1440 हैक्टेयर अनकमाण्ड खातेदारी में से **पत्थर नम्बर 168/6 मु.न. 106 किला नम्बर 17 ता 24 = 2.024 हैक्टेयर अनकमाण्ड खातेदारी भूमि** में वादी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का 1/2 हिस्सा दर्ज करते हुए प्रतिवादीगण से खाता विभाजन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। शेष भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम से उनके हिस्सा अनुसार संयुक्त खाता में रखी जावे। भूमि अगर रहन है तो जिस पक्षकार का ऋण लिया हुआ है उसके खाते मे रहन का नोट लगाया जावे। तहसीलदार सूरतगढ़ इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमलदरामद करे।

नोज.......... × .... मुबलिग.......... × .... बाबत.......... ....जो इस मुकदमे में मय सूद बशरह .. .... × .... फस्दो की पालना ...... × ...... आज की तारीख ...... तारीख वसूलिया वो तक की अदा करे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.28 11:26:40 IST
Reason: SelfAttested

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिन 17.02.2025. को जारी की गई।

(सन्दीप कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)